भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

* * *

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या: 117

(दिनांक 09.02.2022 को उत्तर के लिए)

नियमों का अनुपालन

***117. श्री गोपाल शेट्टी :**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को जनहित में सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों द्‌वारा नियमों एवं विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित किए जाने के लिए जन प्रतिनिधियों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ऐसे सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्‌ध कोई दांडिक कार्रवाई की जाती है जो नियमों एवं विनियमों का समुचित रूप से कार्यान्वयन नहीं करके सरकार की अवज्ञा करते हैं और उसकी छवि भी धूमिल करते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उन्हें पेंशन और अन्य सुविधाओं से विवर्जित करने के लिए केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 में प्रावधान किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या राज्यों को भी इस संबंध में प्रावधान बनाने के लिए अनुदेश दिए जाने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करने के लिए सरकार द्‌वारा अब तक क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क) से (ड.): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

नियमों के अनुपालन के संबंध में श्री गोपाल शेट्टी द्वारा दिनांक 09.02.2022 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 117 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण

(क) से (ग) : विभिन्न मुद्दों पर जन प्रतिनिधियों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर कार्य आबंटन नियमावली, 1961 के अनुसार संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग द्वारा कार्रवाई की जाती है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने प्रशासन तथा संसद सदस्यों (सांसदों) और राज्य विधानमंडलों के बीच आधिकारिक कार्य संव्यवहार के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं और इसे समय-समय पर दोहराया है। इन दिशा-निर्देशों में, अन्य बातों के साथ-साथ, सांसदों से प्राप्त पत्रों पर तत्काल ध्यान देने और सांसदों एवं राज्य विधानमंडलों के प्रति शिष्टाचार प्रदर्शित करने और महत्व प्रदान करने का प्रावधान शामिल है। इस बात पर भी जोर दिया गया है कि इन दिशा-निर्देशों के उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा और उन पर प्रासंगिक नियमों जैसे केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965, अखिल भारतीय सेवा (अनुशासनात्मक और अपील) नियम, 1969, सीसीएस (पेंशन) नियम, 2021 अथवा अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभ) नियम, 1958 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिसके परिणामस्वरूप उन पर दंड लगाया जा सकता है अथवा पेंशन या ग्रेच्युटी को रोका अथवा वापस लिया जा सकता है।

(घ) : राज्य सरकार के कर्मचारियों को संबंधित राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा शासित किया जाता है। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों को बार-बार सलाह दी गई है कि वे प्रशासन और संसद सदस्यों (सांसदों) और राज्य विधानमंडलों के बीच सरकारी कार्य संव्यवहार से संबंधित उक्त दिशा-निर्देशों को उपर्युक्त (क) से (ग) में दिए गए उत्तर के अनुसार, अनुपालन हेतु अपने-अपने कर्मचारियों के ध्यान में लाएं।

(ङ) : केन्द्र सरकार ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध ''शून्य सहनशीलता'' की अपनी वचनबद्धता के अनुसरण में, और अधिक पारदर्शिता को प्रोत्साहित करके, सरलीकृत प्रक्रियाओं को शुरू करके एवं भ्रष्टाचार से निपटने के लिए विवेकाधिकार की गुंजाइश को कम करके जवाबदेही तथा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय किए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित उपाय शामिल हैं :

i. प्रत्यक्ष लाभ अंतरण पहल के माध्यम से सरकार की विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत नागरिकों को कल्याणकारी लाभों के सीधे संवितरण द्वारा भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करने के लिए पारदर्शी, नागरिक-अनुकूल सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रणालीगत संशोधन और सुधार; सार्वजनिक प्रापणों में ई-निविदा का कार्यान्वयन ; ई-शासन की शुरूआत और प्रक्रिया तथा प्रणालियों का सरलीकरण; तथा सरकार ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) के माध्यम से सरकारी प्रापण की शुरूआत।

ii. रिश्वत देने के कृत्य को अपराध घोषित करते हुए दिनांक 26.07.2018 को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 का संशोधन।

iii. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अंतर्गत लोक सेवकों के विरुद्ध कथित अपराधों से संबंधित शिकायतों को सीधे प्राप्त करने और उनका निपटान करने के सांविधिक अधिदेश के साथ लोकपाल की संस्था को क्रियाशील बनाना।

iv. ऐसे पदाधिकारियों को सार्वजनिक हित में सेवा से सेवानिवृत्त करने के लिए मूल नियम-56 (जे) और एआईएस (डीसीआरबी) नियम, 1958 लगाना, जिनके कार्य-निष्पादन को समीक्षा के पश्चात असंतोषजनक पाया जाता है और/अथवा उनकी सत्यनिष्ठा संदिग्ध पाई जाती है।

v. केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) द्वारा किए गए निवारक सतर्कता उपाय निम्नानुसार हैं-

(क) प्रमुख प्रापण कार्यकलापों में सभी संगठनों द्वारा सत्यनिष्ठा समझौता (इंटीग्रिटी पैक्ट) को अपनाना;

(ख) केन्द्रीकृत प्रशिक्षण संस्थानों को निवारक सतर्कता के संबंध में मॉड्यूल शामिल करने की सलाह देना;

(ग) निवारक सतर्कता के संबंध में पुस्तिकाओं के संकलनों के प्रकाशन द्वारा अच्छी प्रथाओं (गुड प्रैक्टिसेज) का प्रसार;

(घ) सभी स्तरों पर विवेकाधिकारों के अत्यधिक प्रयोग को रोकने के लिए सरकारी संगठनों, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को मानक प्रचालन प्रक्रियाओं को विकसित करने की सलाह देना;

(ङ) सतर्कता जागरूकता सप्ताहों के माध्यम से कर्मचारियों और जनता, विशेषकर छात्रों और युवाओं में नैतिक व्यवहार विकसित करना;

(च) मुख्य सतर्कता अधिकारियों (सीवीओ) का प्रशिक्षण, क्षमता विकास और कौशल उन्नयन तथा विभागों/संगठनों का प्रबंधन;

(छ) मुख्य सतर्कता अधिकारियों (सीवीओ) द्वारा लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की संवीक्षा;

(ज) संविदाओं, प्रापण, भर्ती आदि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के संबंध में मैनुअलों का सतत संशोधन।

(झ) प्रणालियों को नवीनतम उपलब्ध प्रौद्योगिकी के साथ जोड़ने के लिए प्रक्रियाओं और प्रणालियों का सतत संशोधन; और

(ञ) बेहतर परिसंपत्ति प्रबंधन के लिए संगठनों को डिजिटल रूप में परिसंपत्ति रजिस्टर तैयार करने की सलाह देना।

*****